तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जिला भीलवाड़ा में स्थित होकर विपक्षी क्र०1 के नाम दर्ज रेकार्ड है। रवाना क्र० 218 भी विपक्षीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी तारीख प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल सम्वत 2071 से 2074 के होती है। प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार विवादित आराजियात विपक्षी क्र०1 से 4 के संयुक्त खातेदारी व विपक्षी क्र०1 के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी विपक्षी क्र०1 का कुटुम्ब है सिराकत का रवाना कभी नहीं खुला है विपक्षी क्र०1 के दो पुत्र व एक पुत्री है विपक्षी क्र०1 जीवित है विपक्षी क्र०1 के जीवन काल में, किसी प्रकार का इन्तकाल व हिस्सा अपने पुत्रों व पुत्रियों को नहीं मिलता है. किन्तु विपक्षी क्र०1 अपने खाते में छेड़छाड़ तथा खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है. ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हितों को नुकसान है। प्रार्थी को किसी प्रकार के अपूरणीय क्षति रखते हुए तथा प्रार्थी को किसी प्रकार के अपूरणीय क्षति न हो इस कारण विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक है.

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित समझता हूँ- इति!

:: आदेश ::

ग्राम आंगोला पटवार हल्का सिंदाडिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित रवाना क्र० 218 में हाल आराजी नं० 262/2, 473, 481, 623/2, 757, 760, 790, कुल किता 7 रकबा 6 बीघा 1 बिस्वा 11 बिस्वांसी रवाना क्र० 217 में स्थित ग्राम आराजी नं० 276, 348 कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, व रवाना क्र० 98 में स्थित हाल आराजी नं० 261, 263, 263/2 में स्थित भूमि के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पटवारी के साथ शुभचार की जाकर मौके के साथ संलग्न की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

सेवामें,
श्रीमान्
गणपत पुत्र
पुरावतो का
1. जग
पुरा
2. चन
पुर
3. श्री
पु
4. भ
f
5.
6.
महोव
1.
2.

Scanned by CamScanner